खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

विभागीय अपील

श्री शैलेन्द्र कुमार बनाम बिहार सरकार

आदेश

अपीलार्थी श्री शैलेन्द्र कुमार उपस्थित।

15.10.2026

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रतिनिधि के रूप में अवर सचिव, श्री अमित रंजन उपस्थित

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प० चम्पारण, बेतिया ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–1158/खाद्य, पटना दिनांक–23.06.2025 द्वारा संसूचित दण्ड आदेश के विरूद्ध बिहार सरकार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1025/पटना, दिनांक–28.03.2007 में वर्णित प्रावधान के तहत दायर किया है।

सुनवाई में दोनों पक्षों के द्वारा दिए गए जवाब तथा संचिका में उपलब्ध कागजात के आलोक में स्थिति इस प्रकार से है :–

1. मामला श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प० चम्पारण, बेतिया के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा निगरानी कांड संख्या–20/2023 दिनांक–30.05.2023 दर्ज किये जाने एवं धावा दल द्वारा दिनांक–31.05.2023 को उन्हें 55,000/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किये जाने का है।

2. धावा दल द्वारा अपीलार्थी को रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने के उपरांत विभागीय आदेश द्वारा श्री कुमार को दिनांक–15.06.2023 को निलंबित किया गया तथा जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा गठित आरोप पर विभाग द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई।

3. संचालन पदाधिकारी, उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा/लिखित बचाव बयान मांगी गयी। तत्पश्चात् बचाव बयान के समीक्षोपरांत अपीलार्थी को दिनांक–23.06.2025 को सेवा से बर्खास्त किया गया।

4. विभागीय दण्डादेश में उल्लिखित है कि :–

I. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष बचाव बयान समर्पित न कर आधारहीन बातों का उल्लेख कर असहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए पूर्व में याचित उन्हीं कागजातों को उपलब्ध कराने हेतु बार–बार अभ्यावेदन समर्पित किया जाता रहा। उनका यह रवैया विभागीय कार्यवाही को जानबूझकर विलम्बित करने का प्रयास को दिखलाता है।

II. श्री कुमार द्वारा यह कहना कि परिवादी श्री अजीत ओझा का उनके स्तर पर कोई कार्य लंबित नहीं था तथा उनके द्वारा रिश्वत की मांग नहीं की गयी थी, स्वीकार योग्य नहीं है। परिवादी श्री अजीत ओझा जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पुत्र हैं एवं उनके पिता के जन वितरण प्रणाली दुकान की जाँच

दिनांक–05.04.2023 को श्री कुमार द्वारा किया गया। उनके द्वारा जांच के क्रम में दुकान बंद पाये जाने का प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इसलिए इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता को स्पष्टीकरण से मुक्त करने हेतु उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गयी। इसी क्रम में परिवादी से 55,000/– रू० रिश्वत लेते निगरानी धावा दल द्वारा इन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए कारा–निरोध किया गया, जिसका साक्ष्य उनके विरूद्ध दर्ज निगरानी कांड है।

III. श्री कुमार का ये कहना है कि विभागीय कार्यवाही के दौरान वे प्रत्येक तिथि को उपस्थिति रहे हैं तथा विभागीय कार्यवाही को विलम्बित करने का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया है, पोषनीय नहीं है। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य में यह स्पष्ट अंकित है कि आरोपी पदाधिकारी अपने बचाव के समर्थन में लिखित प्रति उत्तर समर्पित नहीं कर पुनः उन्हीं कागजातों का माँग बार–बार किया जो उन्हें पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया था।

IV. आरोपी पदाधिकारी ने द्वितीय कारणपृच्छा के जवाब में यह भी कहा कि संचालन पदाधिकारी द्वारा गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण अथवा अभियोजन पक्ष के गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। परंतु श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्रवाई के संचालन में गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण की माँग नहीं की गयी, अपितू उनके द्वारा स्वतंत्र गवाहों के बयान की मांग की गयी। निगरानी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–15363 दिनांक–05.12.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि स्वतंत्र गवाह नहीं होते हैं। निगरानी धावा दल द्वारा की गयी कार्रवाई के उपरांत तैयार किया गया पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम जो मुख्य रूप से संपूर्ण घटना क्रम की विवरणी/बचाव है, पर गवाहों का हस्ताक्षर अंकित है, आरोपी पदाधिकारी को हस्तगत करायी गयी।

V. श्री कुमार द्वारा स्वयं के विरूद्ध लगाये गये आरापों को अस्वीकार करते हुए न्यायालय का फैसला आने तक विभागीय कार्यवाही को स्थागित करने का अनुरोध किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना) के पत्रांक–2324 दिनांक–10.07.2007 में आपराधिक कदाचार में लिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध आपराधिक कार्रवाई के साथ–साथ विभागीय कार्रवाई भी चलाये जाने का आदेश है।

VI. संपूर्ण घटनाक्रम एवं साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक–05.04.2023 को श्री कुमार द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता (अनुज्ञप्ति सं0–01/2018) के दुकान की जाँच पूर्वाह्न 11:45 बजे की गयी। जाँचोपरांत विक्रेता से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का हवाला देते हुए श्री कुमार ने विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द नहीं करने के एवज में अवैध राशि की माँग की गयी, जिसकी पुष्टि निगरानी धावा दल द्वारा की गई कार्रवाई (सत्यापन प्रतिवेदन, प्री ट्रैप मेमोरेंडम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम) तथा श्री कुमार को 55,000/– रूपये के साथ घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से होती है। फलतः श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित होता है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली 2005 के नियम 14–(XI) के तहत "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

5. अपीलार्थी के द्वारा अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर अपीलवाद की सुनवाई में लिखित एवं मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि :–

(I) उनके विरूद्ध गठित आरोप पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के तहत निर्देशित नियमावाली–17 के प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि :–

(क) उक्त नियमावली की कंडिका–2 में अंकित है कि आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अभिलिखित किया जायेगा, जबकि उनके मामले में गठित आरोप पत्र पर समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण के साथ–साथ स्थानीय पदाधिकारियों का हस्ताक्षर है, जो उनके अनुशासनिक प्राधिकार / नियुक्ति प्राधिकार नहीं हैं। इस प्रकार गठित आरोप पत्र नियमसंगत नहीं है।

(ख) उक्त नियमावली के कंडिका–3 में आरोप प्रारूपण के संबंध में दिशा–निर्देश अंकित है। इसके अनुसार भाग–3 में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अंकित किया जाना है, जो कि गठित आरोप पत्र में अंतर्विष्ट नहीं है।

(ग) विभाग द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालन से पूर्व उनसे आरोप पत्र के साथ स्पष्टीकरण नहीं किया गया, जो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) का भी उल्लंघन है।

(घ) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र सं0–5840 दिनांक–18.06.2020 में उल्लिखित है कि "... कतिपय मामलों में आपराधिक घटनाक्रम के आधार पर ही आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही भी संचालित की जाती है। ऐसे मामलों में विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु आरोप पत्र के गठन का आधार संबंधित सरकारी सेवक द्वारा किये गये प्रशासनिक चूक को बनाया जाना चाहिए।" उनके मामले में गठित आरोप पत्र में सिर्फ आपराधिक मामले को आरोप बनाया गया है, जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय में लंबित है। उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रशासनिक चूक नहीं किया गया है।

इस परिपत्र की कंडिका–7 में विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श अंकित है यथा "In my opinion, if the charges are same and are based on the findings of the Vigilance investigation, then in order to proved the same, it would be necessary to bring the requisite documents and oral evidence on record so as to prove the charges and simultaneously, all such documents and evidences relied on will have to be provided/supplied to the delinquents so as to defend his case. Authenticated Carbon or photocopies, of documents can also serve the purpose if original or CC is not becoming available."

(च) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Capt. M.Paul Anthony Vs. Bharat Gold Mines Ltd. & Anr. में पारित आदेश में अंकित है कि–"If the departmental proceedings and the criminal case are based on identical and similar set of facts and the charge in the criminal case against the delinquent employee is of a grave nature which involves complicated questions of law and fact, it would be desirable to stay the departmetal proceedings till the conclusion of the criminal case." उनके विरूद्ध गठित प्रशासनिक आरोप पत्र में आपराधिक कृत्यों को आरोप के रूप में अंकित किया गया है। इनके मामले में भी विभागीय कार्यवाही एवं आपराधिक मामले समान तथ्यों पर आधारित है।

(छ) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित नियम–17 के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं का सम्यक् अनुसरण नहीं करने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० सं0–5042 / 2016 पंकज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में निम्न रूप से चिंता व्यक्त की गई है :–

"It is about time that the Chief Secretary, Government of Bihar takes appropriate steps to train its officers discharging functions of a Disciplinary Authority for unless they have the time and inclination to go through "the Disciplinary Rules" and understand the procedures prescribed therein, these disciplinary proceedings are proving a mockery. It is because of such laches of the Disciplinary Authorities and their ignorance about the statutory procedure mandated under the "Disciplinary Rules" that government servants facing serious corruption charges succeed in the litigations. The matter is very serious and requires serious attention because the case in hand is not an isolated example rather this Court is burdened with matters clothed with statutory violations."

(II) संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन त्रुटिपूर्ण होना :–

इस संबंध में कहना है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(23) में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निम्न सूचना अतंर्विष्ट रहना है :–

(क) आरोप की मदों और अवचार अथवा कदाचार की लांछन की विवरणी।

(ख) प्रत्येक आरोप के मद में सरकारी सेवक का प्रतिवाद।

(ग) प्रत्येक आरोप के मद के संबंध में साक्ष्य का निर्धारण।

(घ) प्रत्येक आरोप के मद पर निष्कर्ष और उसके कारण।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उक्त किसी नियम का पालन नहीं किया गया है, क्योंकि गठित आरोप निगरानी थाना कांड संख्या–20/2023 पर आधारित है। विभागीय नियम के उल्लंघन संबंधित कोई भी साक्ष्य समाहित नहीं है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन के निष्कर्ष में आरोप के प्रमाणित होने का उल्लेख नहीं किया गया हैं। नियम विरूद्ध जाँच प्रतिवेदन के आधार पर किसी प्रकार का दंडात्मक कार्रवाई किया जाना न्यायोचित नहीं है।

(III) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावाली, 2005 के नियम–17 (14) के अनुसार "जाँच के लिए नियत तिथि को, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य जिनके आधार पर आरोप की मदों को साबित करना प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा या उसकी ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साक्षियों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा या उसकी ओर से किया जायेगा और सरकारी सेवक द्वारा या उसकी ओर से प्रतिपरीक्षण किया जा सकेगा। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उन बिन्दुओं पर साक्षियों का पुनर्परीक्षण करने का हकदार होगा, जिन पर उनका प्रतिपरीक्षण किया गया हो, किन्तु जाँच प्राधिकार की अनुमति के बिना किसी नये विषय पर प्रतिपरीक्षण नहीं करेगा। जाँच प्राधिकार भी साक्षी से ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जिसे वह उचित समझे।" उक्त से यह स्वतः स्पष्ट है कि गवाहों का परीक्षण प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के स्तर से किया जाना है, तदोपरान्त सरकारी सेवक द्वारा प्रतिपरीक्षण किये जाने का प्रावधान है। उनके मामले में परिवादी श्री अजीत ओझा एवं सत्यापनकर्त्ता श्री मणिकांत सिंह को साक्षी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण उनका परीक्षण/प्रतिपरीक्षण नहीं किया जा सका, जो न्यायसंगत नहीं है।

आरोपित पदाधिकारी को परिवादी का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान नहीं दिये जाने के कारण सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2771/2018 नीरज कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा सी०डब्लू०जे०सी० सं०–14412/2019 कुमारी रीता बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के साथ–साथ अन्य कई समदर्शी मामलों में आरोपित पदाधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा आरोप मुक्त किया गया है।

(IV) स्वयं को निर्दोष साबित करने हेतु उनके द्वारा कतिपय अभिलेख की माँग विभाग से की गई, किन्तु सुसंगत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया।

(V) पारित दंडादेश में यह कहा जाना कि निगरानी विभाग के पत्रांक–15363 दिनांक–05.12.2024 के क्रम संख्या–7 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "स्वतंत्र गवाह नहीं होते हैं", यह साक्ष्य आधारित नहीं है। त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र जो जिला पदाधिकारी द्वारा प्रेषित है, में साक्षियों की सूची में क्रमांक–5, 6, एवं 7 पर गवाहों का नाम अंकित है जिसको प्री–ट्रैप एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेन्डम में स्वतंत्र गवाह की संज्ञा दी गयी है। इसे आरोप पत्र एवं निगरानी विभाग के पत्र को परिशिष्ट–2 एवं परिशिष्ट–3 पर देखा जा सकता है।

(VI) सत्यापन प्रतिवेदन, प्री–ट्रैप मेमोरेन्डम एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरेन्डम को आधार बनाकर आरोप को प्रमाणित किया जाना जो कि आपराधिक मामले का साक्ष्य है और अभी विचारण में है।

अतः वर्णित साक्ष्य आधारित तथ्यों के आधार पर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाना, स्वयं को निर्दोष साबित करने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाना तथा संविधान के अनुच्छेद–20, अनुच्छेद–311 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निमय–17 के उप नियम (3), (4), (14), (15), (16), (17) का उल्लंघन करते हुए बर्खास्तगी का आदेश निर्गत किया जाना न्यायोचित नहीं है।

सुनवाई की तिथि में अपीलार्थी द्वारा दिये गये उपर वर्णित दलील के विरूद्ध विभाग के पक्ष से उपस्थित पदाधिकारी द्वारा पूर्व में विभागीय दंडादेश में उल्लेखित तथ्यों एवं तर्कों के अतिरिक्त कुछ नया नहीं कहा गया।

अभिलेख में संलग्न कागजातों एवं उभय पक्षों को सुनने के पश्चात् स्पष्ट होता है कि विभाग द्वारा अपीलार्थी के रंगे हाथों तथाकथित रूप से रिश्वत लिये जाने पर हुए गिरफ्तारी को ही विभागीय कार्यवाही संचालन में मुख्य बिन्दु बनाया गया। जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के कई पत्रों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही एवं अपराधिक कार्रवाई दो अलग बातें हैं। अपराधिक कार्रवाई एवं उससे जुड़े कागजातों के साक्ष्य एवं गवाहों को साक्षी बनाकर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करना गलत था। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना का CWJC केस नं0–2771 / 2018 के नीरज कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायदेश में उल्लिखित है कि, "Apparently, the finding of the Enquiring Authority is based on pre-trap memorandum, post-trap memorandum, First Information Report and a communication of the Deputy Superintendent of Police dated 06.11.2008.

In the Court's opinion, merely on the basis of the said documents, charge against the petitioner of demand of bribe and acceptance of the same could not be established."

साथ ही, अपीलार्थी पदाधिकारी से जिला पदाधिकारी के स्तर से गठित आरोप पत्र पर बिना स्पष्टीकरण पूछे आरोप पत्र गठित कर देना प्रक्रियात्मक चूक है। इस विषय पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत कई पत्र यथा पत्रांक–1187 दिनांक–22.01.2024 कंडिका–6 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 अथवा नियम–19 के तहत कार्रवाई किये जाने हेतु सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में "आरोप पत्र" का गठन एवं उसका अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित होना अनिवार्य है। स्पष्टतः कोई आरोप पत्र तभी विधिसम्मत् माना जायेगा जब वह विहित प्रपत्र में हो और अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित हो।"

इसके अतिरिक्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के निमय–17(23) के तहत संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन नियम संगत नहीं है। जाँच प्रतिवेदन में मंतव्य के रूप में संचालन पदाधिकारी ने आरोप के प्रमाणित होने अथवा नहीं होने के विषय पर कोई मंतव्य नहीं दिया है। उनके द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध मामला निगरानी न्यायालय, मुजफ्फरपुर में लंबित रहने के कारण विभाग स्तर पर निर्णय लेने का निष्कर्ष अंकित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन पर विभाग द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा करते हुए दंडादेश पारित किया गया जबकि गवाहों का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण भी नहीं किया गया था। हाल में ही Civil Appeal No. 9749 of 2016 SPO/CONSTABLE IRB Satpal Singh Versus State of Pujnab and Others. में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक–04.08.2026 में पारित न्यायादेश में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि "Appellant was discharged from service not because of his conviction on a criminal charge but merely on the ground of pendency of the criminal case. He was not given an opportunity of raising his defence. We have not been shown any law which authorizes a public employer to either dismiss or remove an employee serving the police for more than a decade solely on the ground of pendency of a criminal case. The act of termination of service, in the circumstances, cannot be justified".

पूर्व में भी Civil Appeal No. 7431 of 2008 Roop Singh Negi Versus Punjab National Bank and others में दिनांक–19.12.2008 को पारित माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायादेश में स्पष्ट है कि "The enquiry officer has duty to arrive at a finding upon taking into consideration the materials brought on record by the parties. The purported evidence collected during investigation by the Investigating Officer against all the accused by itself could not be treated to be evidence in the disciplinary proceeding. No witness was examined to prove the said documents. The management witnesses merely tendered the documents and did not prove the contents thereof. Reliance, inter alia, was placed by the Enquiry Officer on the FIR which could not have been treated as evidence".

इसके अतिरिक्त आरोपी पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के क्रम में यह बतलाया गया कि निगरानी विभाग के धावा दल द्वारा जिस शिकायतकर्त्ता (श्री अजित ओझा) के परिवाद पर कार्रवाई की गयी उनका आरोपी पदाधिकारी के समक्ष कोई भी कार्य लंबित नहीं था। वस्तुतः जिस जन वितरण प्रणाली दुकान के विरूद्ध कार्रवाई में स्पष्टीकरण से मुक्त करने के एवज में रिश्वत लेने की बात कही जा रही है वह शिकायतकर्त्ता के पिता का दुकान है। साथ ही, अपीलार्थी पदाधिकारी द्वारा यह बतलाया गया कि शिकायतकर्त्ता के पिता श्री अर्जुन ओझा ने अपने पुत्र के शिकायत को स्वयं फर्जी बताया। इस विषय पर उन्होंने विभाग को भी पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उन्हीं के प्रश्नगत जाँच प्रतिवेदन को सही पाकर विभाग ने विषयांतर्गत जन वितरण प्रणाली के दुकान का लाईसेंस भी निरस्त किया। यह भी उल्लेखनीय है कि स्पष्टीकरण अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से किया जाता है एवं उस पर निर्णय भी उन्हीं के स्तर से ली जाती है।

सुनवाई के क्रम में आरोपित पदाधिकारी ने यह भी बताया गया कि पूर्व में विभाग द्वारा समदर्शी मामले में निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार होने पर सेवा से बर्खास्त/निलम्बित किये जाने पर अपीलीय प्राधिकार उन्हें पुनः बहाल किया गया है।

त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र का गठन, सुनवाई के क्रम में अपीलार्थी को गवाहों के परीक्षण/प्रतिपरीक्षण का मौका नहीं दिये जाने, अपठनीय साक्ष्यों का दिया जाना, संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट मंतव्य नहीं दिया जाना इत्यादि के बावजूद अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त करना न्यायपूर्ण

नहीं है। यह केवल प्रक्रियात्मक भूल ही नहीं बल्कि नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध दिया गया दण्ड है, जिसमें अपीलार्थी को न केवल अपने बचाव के लिए युक्ति–युक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया बल्कि न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मामले के आधार पर त्रुटिपूर्ण आरोप पत्र गठित कर "सेवा से बर्खास्तगी का" असमानुपातिक दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।

उपर्युक्त विवेचना के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–1158 / खाद्य, पटना दिनांक–23.06.2025 द्वारा अधिरोपित "सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यता सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी" के दंड को निरस्त किया जाता है एवं सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अभिलेख पुनर्विचार हेतु Remand किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित
ह0 / –
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ह0 / –
(अशोक चौधरी)
मंत्री,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
–सह–
अपीलीय प्राधिकार

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(प0 चम्पारण)–08 / 2023(खंड)– 6751 खाद्य, पटना / दिनांक– 30-10-26

प्रतिलिपि–1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया / उप निदेशक (खाद्य), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला आपूर्ति पदाधिकारी, प0 चम्पारण, बेतिया / जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, कनीय प्रभारी प्रशाखा–03, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन आपूर्ति निरीक्षक, मंझौलिया, प0 चम्पारण, बेतिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, मोबाइल संख्या–9939567435, E-Mail ID : shailendra414@gmail.com को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र08–गो0आ0(प0 चम्पारण)–08 / 2023(खंड)– 6751 खाद्य, पटना / दिनांक– 30-10-26

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री कोषांग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव ।